कार्यालय

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

पत्रांक– 94 /मु0अ0/2019 दिनांकः–.20.02.2019

प्रस्ताव आंमत्रण सूचना

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–5042/नौ–5–2018–31सा/2018 दिनांक 19.12.2018 के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश में Solid Waste Management (SWM) के कार्य हेतु इम्पैनल्ड फर्मो/कम्पनियों तथा अन्य अनुभवी फर्मों से गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–1, 4, 5, 6 व 7 के Solid Waste Management (SWM) कार्य हेतु Online प्रस्ताव दिनांक.................. तक निम्नानुसार आंमत्रित किये जाते है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रूपये	निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये	कुल धरोहर राशि- निविदा धन राशि का 2% या भारत सरकार द्वारा जारी निविदा छूट का प्रमाण पत्र	निविदा प्रपत्र डाऊनलोड करने की तारीख	निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख व समय	तकनीकी निविदा खोलने की तारीख व समय
1	**गोमती नगर विस्तार लखनऊ के समस्त घरों से कचरे का एकत्रीकरण, परिवहन एवं प्रबंधन** निर्धारित प्रोसेसिंग केन्द्र पर सॉलिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट नियमावली 2016 के अनुसार कम्पोस्टिंग एवं कचरे का निस्तारण।	ऑपरेशनल, कलेक्शन एवं प्रबंधन कास्ट रु. /- फिक्स्ड कास्ट रु. /- जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त	रु.3000/-	रु0–2,50,000.00	दिनांक. 22.02. 2019.से दिनांक 27.02. 2019तक	दिनांक 27. 02.2019 दोपहर 03:00 बजे तक	दिनांक 27.02. 2019 सांय 04:00 बजे तक

मुख्य अभियन्ता

लखनऊ विकास प्राधिकरण

कार्यालय

लखनऊ विकास प्राधिकरण

–:: निविदा प्रपत्र ::–

1. निविदादाता का नाम पता : ....
   व फोन नं. ....

कार्य का नाम : लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमती नगर विस्तार के समस्त घरों से कचरा संग्रहित करना एवं बिना सड़क पर गिराए कचरे परिवहन करते हुए कचरे को निर्धारित प्रोसेसिंग प्लान्ट पर सॉलिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट नियमावली नियमावली 2016 यथासंशोधित के अनुसार कम्पोस्टिंग एवं कचरे का निस्तारण करना।

2. **निविदादाता की योग्यता :–**
   1. श्रम विभाग का श्रमिक ठेका लाइसेंसधारी होना चाहिये।
   2. वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिये। गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्न ओवर कम से कम 100 लाख रूपये वार्षिक होना चाहिये।
   3. कम से कम 5 वर्ष का कचरा प्रबंधन एवं कम्पोस्टिंग कार्य का अनुभव होना चाहिये।
   4. निविदादाता PAN धारक हो।
   5. गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GST) पंजीकृत होना चाहिये।
   6. निविदादाता कर्मचारी राज्य बीमा (E.S.I.) एव भविष्य निधि (P.F.) विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
   7. किसी भी संस्था (सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्थानीय, निकाय) से Black List नही होने एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण में कोई भी नजदीकी रिश्तेदारी कर्मचारी/अधिकारी पदस्थापित नही होने का शपथ पत्र देना आवश्यक है।
3. **कार्य की अवधिः–** कार्य की अवधि अनुबन्ध निष्पादन/कार्यादेश की तारीख से 05 वर्ष होगी विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार कार्य अवधि घटाई अथवा बढ़ायी जा सकती है।
4. **निविदादाता को निर्देश :–**
   1. एक निविदादाता एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकता है।
   2. निविदादाता नगर पंचायत में सॉलिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट नियमावली 2016 यथासंशोधित के अनुसार कचरे का कम्पोस्टिंग एवं निस्तारण करेगी।
   3. निविदा शुल्क की राशि वापस नहीं दी जायेगी।
   4. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
   5. निविदा से सम्बन्धित कार्य, स्थान इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर निविदा दर प्रस्तुत करें।
   6. आपकी दर निर्धारित ई–प्रपत्र में भरें।
   7. किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्पर्क, करें।
   8. निविदादाता को धनांक रु0–2,50,000.00 की धरोहर राशि https://induscollect.indusind.com/pay/index.php वेबसाईट के माध्यम से आनलाईन जमा कराना होगा।
   9. निविदा प्रपत्र रूपये 3000/–का शुल्क https://induscollect.indusind.com/pay/index.php वेबसाईट के माध्यम से आनलाईन जमा कराना होगा। भुगतान की स्केन प्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 27.02.2019 को सांय 3:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। सभी करो सहित दर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करें। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

5. **निविदा प्रपत्र में संशोधन :–**
   1. लखनऊ विकास प्राधिकरण निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकती है जो कि https://etender.up.nic.in & www.ldaonline.com वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

2. संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।

6. **निविदा की वैधता :–**

1. निविदा की वैधता निविदा खोलने की तारीख से 90 दिवस तक होगी।
2. कारणवश निविदा का निर्णय वैधता की अवधि में नही हो तो लखनऊ विकास प्राधिकरण 30 दिवस के लिये वैधता अवधि बढ़ाने का आग्रह कर सकती है। निविदादाता को इसे स्व–विवेक से स्वीकार कर सहमति देनी होगी।

7. **धरोहर राशि :–**

1. भुगतान, RTGS लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम में देय होगा. RTGS की प्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 27.02.2019 को सांय 3:00 बजे तक जमा करवाना होगा।
2. निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा शेष निविदादाताओं की धरोहर राशि मांग करने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

8. **निविदा प्रस्तुत करना :–**

1. निविदा दो स्तरीय बिड प्रद्धति के अनुसार दिनांक 27.02.2019को सांय 3:00 बजे तक Electronically आमंत्रित की गयी है। एक प्रस्ताव में तकनीकी सूचना ऑनलाईन प्रस्तुत करें एवं प्रपत्र 2 में वित्तीय प्रस्ताव (दर) अंकित कर ऑनलाईन प्रस्तुत करावें।
2. तकनीकी प्रस्ताव के साथ में निविदादाता द्वारा निम्न पत्र/कागजात हस्ताक्षर कर सील लगा अपलोड किये जावेगें :–

(i) निविदा शुल्क के भुगतान की स्केन प्रति।

(ii) धरोहर राशि के भुगतान की स्केन प्रति।

(iii) लेबर लाईसेन्स, पेन कार्ड, जीएसटी के प्रमाण पत्र की स्केन प्रति/ निविदादाता के कर्मचारी राज्य बीमा (E.S.I), भविष्य निधि (P.F.) विभाग में पंजीकृत होने संबंधी, संबंधित विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की स्केन प्रति।

(iv) कार्यानुभव के लिए कार्यादेश/ अनुबंध की स्केन प्रति।

(v) टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप सी.ए. द्वारा जारी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) एवं आयकर विभाग में प्रस्तुत गत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की स्केन प्रति।

(vi) निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्केन प्रति।

3. निविदादाता वित्तीय प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही ऑन लाईन प्रस्तुत करेंगे।

9. **निविदा खोलना :–**

1. निर्धारित समय दिनांक 27.02.2019 को सांय 3:00 बजे तक प्राप्त निविदाओं कें तकनीकी प्रस्ताव दिनांक 27.02.2019 को सांय 4:00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
2. निविदा शुल्क व धरोहर राशि के भुगतान निर्धारित समय तक प्राप्त नही होने पर निविदा नही खोली जावेगी।
3. तकनीकी प्रस्तावों की निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप जांच उपरान्त योग्य निविदादातोों के वित्तीय प्रस्ताव ही खोले जावेंगे। योग्य निविदादातोों को वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तारीख व समय की सूचना वेबसाईट से दी जावेगी।

10. **निविदा निरस्त करना :–**

तकनीकी प्रस्ताव के साथ निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं करने पर निविदादाता को तकनीकी रूप से योग्य घोषित नहीं किया जायेगा एवं उनका वित्तीय प्रस्ताव नही खोला जाएगा।

11. **निविदा स्वीकार करना :–**

1. तकनीकी रूप से योग्य निविदादातोों के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तारीख पृथक से निर्धारित कर Website के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
2. तकनीकी रूप से अयोग्य पाये गये निविदादातोों के वित्तीय प्रस्ताव नही खोले जायेंगे।

3. लखनऊ विकास प्राधिकरण निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
4. न्यूनतम निविदा दर स्वीकार करने के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण बाध्य नहीं है। आदेश देने के पूर्व तक लखनऊ विकास प्राधिकरण सभी निविदाओं को निरस्त कर सकती है।
5. लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यादेश देने से पूर्व सफल निविदादाता को दरे स्वीकार करने, की सूचना व निम्न औपचारिकताएँ दिवस में पूर्ण करने हेतु पत्र देगी :–

   (क) अनुबन्ध पत्र 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने हेतु।
6. सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित समय में सभी औपचारिकताएँ पूर्ण नही करने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. सभी औपचारिकताएँ निर्धारित समय में पूर्ण करने पर सफल निविदादाता को कार्यादेश दिया जायेगा।
8. कार्यादेश देने के 15 दिवस के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

12. निविदा के नियम व शर्ते :–

1. गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–1, 4, 5, 6 व 7 के Solid Waste Management (SWM) नियम–2016 यथासंशोधित के अनुसार समस्त अपार्टमेन्ट/भवनों से निकलने वाले कचरे का प्रबन्धन एवं निस्तारण ।
2. स्वेदक द्वारा किसी भी परिस्थिति में कचरे को जलाया नहीं जायेगा।
3. जैविक एवं अजैविक कचरे को बिना भूमि पर गिराए कचरा प्रबंधन स्थल पर परिवहन करना तथा जैविक कचरे से कम्पोस्ट का निस्तारण निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
4. प्रसंस्करण/कचरा प्रबंधन केन्द्र हेतु भूमि, समस्त निर्माण, पानी, एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा |
5. निविदादाता को कम्पोस्टिंग के उपरान्त जैविक खाद एवं अन्य कचरे से प्राप्त धन राशि को एकत्र कर लखनऊ विकास प्राधिकरण में जमा करना होगा।
6. नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ, शारीरिक रूप से असक्षम, बाल श्रमिक कार्य पर नहीं लिया जावेगा। श्रमिक आवश्यक उपकरण के साथ एवं फुल यूनिफार्म में होंगे।
7. कचरा प्रबन्धन के लिये आवश्यक डस्टबिन, कन्टेनर, परिवहन हेतु वाहन एवं अन्य आवश्यक सभी सामग्री आदि की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।

13.

1. कार्य समय में कार्य स्थल पर जाते समय या कार्य करते समय किसी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक घटना/दुर्घटना से जनसाधारण या श्रमिकों के घायल होने/मृत्यु होने/चोट आदि लगने पर सभी प्रकार का उत्तरदायित्व (वित्तीय एवं विधिक) निविदादाता का होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर विधिक या अन्य रूप से उत्तरदायी नहीं होगी।

4. कार्य समय में होने वाली दुर्घटना की पूर्ण जानकारी आगामी दिवस को लिखित में लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करेंगे।
5. विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ का निर्णय अंतिम निर्णय होगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा न्याय क्षेत्र .... लखनऊ .... क्षेत्र होगा।

1. प्रत्येक माह बिल के साथ श्रमिकों के जमा कराये गये ई0एस0आई0 व पी0एफ0 की रसीद देनी होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण श्रमिकों के भुगतान आदि के पत्र मांग सकती है।
2. कार्यरत श्रमिको का विवरण पहचान, पते सहित लखनऊ विकास प्राधिकरण को देना होगा। न्यूनतम वेतन अधिनियम एवं प्रचलित राज्य व केन्द्र के श्रमिकों से सम्बन्धित सुरक्षा नियम आदेश आदि की पालना निविदादाता को अपने स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी।

3. निविदादाता द्वारा सुरक्षात्मक वस्त्र व उपकरण श्रमिकों को उपलब्ध कराकर ही कार्य पर भेजना होगा। सुरक्षात्मक वस्त्र व उपकरण के अभाव में होने वाली दुर्घटना के लिये निविदादाता पूर्णता उत्तरदायी होगा।

14. **कार्य का विवरण :–**

निविदादाता गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर– 1, 4, 5, 6, व 7 अपार्टमेन्ट व भवनों से सॉलिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट नियमावली 2016 यथासंशोधित के अनुसार सीधे कचरा एकत्रित करना, बिना सड़क पर गिराए परिवहन करना एवं जैविक कचरे का कम्पोस्टिंग तथा अन्य का निस्तारण करना|

अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

वित्तीय प्रस्ताव

क्र0सं0	कार्य		दर
01	लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमती नगर विस्तार के समस्त घर से कचरे का संगृहीत करना, परिवहन करना, एवं प्रबंधन प्रसंस्करण/कचरा प्रबंधन केन्द्र पर जैविक कचरा का कम्पोस्टिंग तथा अवशेष का निस्तारण कार्य।	: :	

निविदादाता हस्ताक्षर
मय सील

नोट : निविदादाता अपनी दरे ''वित्तीय प्रस्ताव'' में ही अंकित करे।